

<p>तारीख हुम</p>	<p>रामेश्वर सिंह / साहिबराम व अन्य हुम या कार्यवाही पर इनिशियल जज</p>
<p>21/2/25</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी 390। वकील प्रार्थी अपाथिगण के जोड़िए गणना प्रस्तुत किया गया। जोड़ गणने Reg. No. 500 के जारी दीपत्रावली तलबी इन्जाल तल पत्रावली अपाथिगण दिनांक 16/4/2025 को पेश की।</p>
<p>18/2/25</p>	<p>पत्रावली पेश। पत्रावली वास्तु तलबी इन्जाल के आयन्दा दिनांक 20/5/25 को पेश की।</p>
<p>20/05/25</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी 390। पत्रावली का अवलोकन किया गया। एलजाल प्रमाण प्रार्थी-पत्रा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान सिलेबल अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत है। अतः प्रार्थी अपाथिगण पर प्रार्थी द्वारा लगे लक्षण के (विगत 8 वर्षों) के जोड़ पत्रावली कार्यवाही नहीं की जा सकी है। पूर्व में अनेक अवकाश दिए जा चुके हैं परन्तु आज दिनांक 20 अपाथिगण की तलबी हेतु PF व लक्षण जारी कर जने के परतुत नहीं दिये जाते। एलजाल एलजाल प्र-पत्रा में summary एवं की</p>

सहायक कलक्टर  
(फसल ट्रेड) जोधपुर

सहायक कलक्टर  
(फसल ट्रेड) जोधपुर

प्राथमिक  
दस्तावेज

रामेश्वर सिंह / आदिबिरान न अन्त  
दस्तावेज या कार्यवाही मय इतिशियन्त ज्ञात

संख्या व तारीख  
कार्यवाही जो इस  
दस्तावेज की तारीख  
से जारी हुए

जाकर विन्तावा किमा जासा है परन्तु  
प्राचीन आधिकारिता द्वारा आज विन्तावा  
कोई प्रकार की कार्यवाही नहीं किमे जाने व  
अपनीजाता ही तबही हेतु पत्र के अन्तर्गत  
नहीं किमे जाने से इत्यागत अन्तर्गत-पत्र  
अन्तर्गत धारा 212 उपस्थान अन्तर्गत  
आधिकारिता, 1955 09 RS (क्रॉडर 9 विन्तावा  
5) में श्रावण किमा जासा है पत्रावली  
अन्तर्गत सुभाष घोषा नरकर के अन्तर्गत  
आधिकारिता 4 फरवरी 19

19  
सहायक कलेक्टर  
(कलेक्टर) जोधपुर

